

प्रेस नोट

दिनांक 24.10.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-465/24, धारा 69,352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पंकज मौर्या पुत्र खेदू मौर्या नि0 काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी पंकज मौर्या द्वारा उसकी पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुभाष विश्वकर्मा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 24.10.2024 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त पंकज मौर्या को उसके घर ग्राम काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पंकज मौर्या पुत्र खेदू मौर्या नि0 काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-465/24, धारा 69,352,351(3) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुभाष विश्वकर्मा।
02. का0 अंकित राय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.10.2024

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-451/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिकेश तिवारी पुत्र सर्वेश कुमार तिवारी नि0 ग्राम बैरीपुर रामनाथ थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को बन्दरहा गिलुवा रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री दयानन्द जयसवाल पुत्र रामअधार निवासी मो0 सुभाष नगर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0मनकापुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 09.09.2024 को विपक्षीगण द्वारा उनके परिजनों व उनके पुत्र को गाली गुप्ता देने लगे उनके पुत्र के विरोध करने पर वहाँ से चले गये कुछ देर बाद विपक्षीगण वादी के पुत्र को अकेला देखकर लाठी डण्डा आदि से मारे पीटे है जिससे उनके लडके को काफी चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 24.10.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अनिकेश तिवारी को बन्दरहा गिलुवा रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिकेश तिवारी पुत्र सर्वेश कुमार तिवारी नि0 ग्राम बैरीपुर रामनाथ थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-451/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 योगेश यादव
02. हे0का0 रवीश कुमार
03. का0 ओमप्रताप यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।